3. Council of Ministers ; मन्त्रीपरिषद

• हर्षचरित एवं हर्ष के अभिलेखों के आधार पर यह पता लगता है की, राजा हर्ष की सहायता के लिए एक मन्त्रीपरिषद होती थी। मन्त्रिपरिषद का राजा के निर्वाचन में हाथ रहता था। जिसका प्रमाण स्वयं हर्ष ही था। इन मन्त्रियों को सचिव अथवा अमात्या की संज्ञा से विभूषित किया जाता था। मन्त्रिपरिषद एक काफी महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसको सलाह देने का अधिकार प्राप्त था, मन्त्रियो और कर्मचारियों को वेतन भूमि के अनुदान के रूप में मिलता था। प्रधानमन्त्रि राजा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान एवं युवराज के समकक्ष होता था। राज्य के भूमि का एक चौथाई भाग सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित था। केन्द्रिय शासन का संगठन कई विभागों में हुआ था, जो अध्यक्षों अथवा मन्त्रियों के संरक्षण में रहतें थें।

इस तरह से राजा हर्षवर्धन के निजी अधिकारीयों में प्रतिहार, विनयसूर, स्थपति प्रतिनर्तक, दूतक, लेखक आदि को देखा जाता था। मन्त्रिपरिषद में पुरोहित, प्रधानमन्त्रि, संधि-विग्रहक, अक्षपटलाधिकृत और सेनापति का विशिष्ट स्थान था। इसके अलावे अर्थ और न्याय विभाग के भि मन्त्रि हुआ करते थें

मधुवन ताम्रलेख से दूतक स्कन्दगुप्त और अक्षपटलिक ईश्वरगुप्त तथा बँसखेरा ताम्रपत्र में अक्षपटलिक भानु का उल्लेख मिलता है। इन सभि मन्त्रियों के अलावे महाबलाधिकृत, अश्वसेनाध्यक्ष, गजसेनाध्यक्ष, दूत, राजस्थानीय, उपरिकमहाराज महाराज, आयुक्त, मीमांसक, भोगिक या भोगपति, दिर्घद्रुग, करणिक आदि होतें थें। ये सभी केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद में सहायता देते थें। इस तरह से राजा हर्षवर्धन के काल में मन्त्रियों का पता लगता है।

4. Secretariat/Secretariat ; सचिवालय :

इतिहास को देखने से ऐसा प्रतित होता है की हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। बाणभट्ट ने बताया है कि उच्च प्रशासकीय सेवा में "कुमारामात्य" नियुक्त किये गये थें, उन्हीं में से मन्त्रि सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी नियुक्त किये जाते थे।

राजधानी के अपने सन्देश वाहक थें, जिन्हें हर्षचरित में दीर्घध्वज कहा जाता है। इस प्रकार से हषवर्धन का राज्य-काल इन चुस्त प्रशासनिक प्रबन्ध को लेकर के कहा जाता है कि सामन्त शासन प्रणाली अग्रगामी (Forerunner) थी।

5. प्रान्तीय शासन व्यवस्था ; Territorial Administrative-System : गुप्त काल की शासन की तरह हर्षवर्धन के शासन